जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 833 दिनांक 4/5/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या ई–5, ई– 6 व ई– 7 योजना आम्रपाली नगर का पट्टा श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल अग्रवाल को जारी किया गया था। श्री श्यामा देवी द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या ई–5, ई– 6 व ई– 7योजना आम्रपाली नगर का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु सुश्री जान्हवी पुत्री श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदिका के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-297
9/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 834 दिनांक 4/5/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या ई–8 / 9 व ई–10 / 11, डी–74 योजना आम्रपाली नगर का पट्टा श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल अग्रवाल को जारी किया गया था। श्री श्यामा देवी द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या ई–8 / 9 व ई–10 / 11 योजना आम्रपाली नगर का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदकगण के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-296
9/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 079 **दिनांक** 9/5/22

विज्ञप्ति

श्री विजय शर्मा, रघु शर्मा, मुकेश शर्मा द्वारा विधाधर नगर के डबल स्टोरी भूखण्ड संख्या डीएल–12 का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण–पत्र, पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन जविप्रा द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार आवंटी की मृत्यु दिनांक 21.02.2003 को एवं आवंटी की पत्नी की मृत्यु दिनांक 11.08.2019 को हो चुकी है। वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार आवेदकगण आवंटी के वारिस दर्शित है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

BPRO/R-294
9.5.22

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 2797 दिनांक– 6-5-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	42	133.33 वर्ग गज	शिव नगर तृतीय	श्री भगवती बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री कन्हैया लाल दुहारिया पुत्र श्री रामनाथ दुहारिया एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल	श्री भगवती बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री कन्हैया लाल दुहारिया पुत्र श्री रामनाथ दुहारिया एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल	मूल दस्तावेज गुम होने के कारण।
2	42–ए	133.33 वर्ग गज	शिव नगर तृतीय	श्री भगवती बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री कन्हैया लाल दुहारिया पुत्र श्री रामनाथ दुहारिया एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल	श्री भगवती बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री कन्हैया लाल दुहारिया पुत्र श्री रामनाथ दुहारिया एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल	मूल दस्तावेज गुम होने के कारण।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपि–
1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-290
9/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा / उपा / जोन—11 / 2022 / डी - 1306 दिनांक 06/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना "श्री कृष्णा वाटिका ब्लॉक—ए" के निम्नलिखित भूखण्डों का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री अनुपम सोमानी	ए—64	198.78
2.	श्री अनुपम सोमानी	ए—21	122.22
3	श्री अनुपम सोमानी	104	152.77

उक्त भूखण्ड संख्या ए—64, ए—21 एवं 104 की लीजडीड दिनांक 16.03.2016 को श्री रतनलाल सोमानी पुत्र श्री मदनलाल सोमानी को जारी किया गया है श्री रतनलाल सोमानी पुत्र श्री मदनलाल सोमानी कि मृत्यु दिनांक 17-11-2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्री रतनलाल सोमानी के वारिसान श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल एवं श्रीमती अर्पणा मालपानी पत्नी श्री अजय मालपानी पुत्री स्व. श्री रतनलाल सोमानी के द्वारा उक्त भूखण्डों के लिये श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति / संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति / आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन—11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी निवासी—978, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-793
9.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी - 1293 दिनांक 06/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा इन्द्रा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक विहार–ए से ई के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार हैः–

क.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा	सी–50	180.00

उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र समिति द्वारा **श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री गोपीराम** के नाम जारी किया गया है तथा प्रमाणित सदस्यता सूची में **श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री गोपीराम** का नाम अंकित है। उपरोक्त भूखण्डधारी के नाम उप रजिस्ट्रार जविप्रा, जयपुर से प्रमाणित सूची में भिन्न है तथा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित है। समिति द्वारा पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त व्यक्ति के नाम पट्टे जारी किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना अशोक विहार–ए से ई के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-292
9.5.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन–12 / 2022 / डी– 832 दिनांक : 04-5-2022

लोक सूचना

श्री भैरूराम पुत्र श्री भूरया जाति अहीर निवासी नियर कुण्डा, कनक वृन्दावन बी ब्लॉक, ग्राम सिरसी तहसील जयपुर जिला जयपुर द्वारा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1814 / 2308 रकबा 0.22 हैक्टयर में आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 26.11.2020 को आवेदक के नाम की जा चुकी है।

अतः संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-5-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-291
9.5.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–14/2022/डी– 2371 **दिनांक** 9/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	70	150.00	श्रीमती निमिता देवनानी पत्नी श्री पी.डी. देवनानी, निवासी–52/563, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	अम्बेश्वर गृ.नि.स. स.लि.	सरस्वती विहार

उक्त भूखण्डों का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-
उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-295
9.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय) / 2022 / डी— 2912 दिनांकः— 5-5-2022

—:सूचनाः—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन / भू—आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व / सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / सह—खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री अशोक चौपडा पुत्र श्री महेन्द्र चौपडा (रामनगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना शिव शक्ति नगर—ए)	185	90.19
2	श्री सुनील जांगिड पुत्र श्री लल्लूलाल जांगिड (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि. की योजना कीर्ति सागर—एफ)	9 C	701.28
3	श्री गुलशन चौधरी पुत्र श्री बिरदी चन्द चौधरी (भारत भवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना शिव चौधरी नगर)	154-09	975.14
4	श्री बिरदी चन्द चौधरी पुत्र स्व. श्री छितरमल (भारत भवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना शिव चौधरी नगर)	155-10	1092.07

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः— विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRNR-299
9.5.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री प्रहलाद नारायण गुप्ता पुत्र श्री हरी नारायण गुप्ता हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना शिव विहार-ए	80	166.37
2.	श्री राम बाबू गुप्ता पुत्र श्री जगदीश नारायण गुप्ता हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना शिव विहार-ए	81	170.36
3.	श्री राकेश कुमार जैन एवं भावेश जैन नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना श्याम वाटिका	ए-75-ए	123.10
4.	श्री छोटे लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण लाल शर्मा रूपवास मॉडल गृह निर्माण को-आपरेटिव सोसायटी लि. योजना मेट्रो सिटी	127	138.88
5.	श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री शंकर लाल चौधरी मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भूरा जी विहार	162बी	304.63

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /**2022**/डी-873/04.05.2022

PRO/R-298
9.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक — जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– [illegible] दिनांक [illegible]

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना विन्दायका के आवास संख्या 397 का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवास संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम व [illegible] क्रय / रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चेन का विवरण	[illegible] वर्तमान [illegible] का नाम
	397	43.62	विन्दायका	श्रीमति अनिता गुप्ता पत्नि श्री नन्द किशोर गुप्ता	श्रीमति अनिता गुप्ता पत्नि श्री नन्द किशोर गुप्ता द्वारा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित मुख्त्यारनामा आम के आधार पर दिनांक 01.07.1998 को श्रीमति सन्तोष मित्तल पत्नि श्री विनोद कुमार मित्तल को नियुक्त किया गया। मुख्त्यारनामा आम श्रीमति सन्तोष मित्तल पत्नि श्री विनोद कुमार मित्तल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 03.04.2017 को श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधा मोहन को बेचान कर दिया गया। श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधा मोहन द्वारा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित विक्रय इकरारनामा के आधार पर दिनांक 17.10.2019 को डॉ. उमा रानी दुबे पत्नि श्री विष्णु कुमार अग्रवाल को बेचान कर दिया गया।	डॉ. उमा रानी दुबे पत्नि श्री विष्णु कुमार अग्रवाल निवासी मकान संख्या 110, राजीव विहार–[illegible], [illegible] मानसरोवर, जयपुर।

आप द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड / नोटरी पब्लिक से प्रमाणित मुख्त्यारनामा आम व विक्रय पत्र व विक्रय इकरारनामा के आधार पर नाम हस्तान्तरण / आवंटन पत्र / लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण / आवंटन पत्र / लीजडीड जारी पत्र जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:— डॉ. उमा रानी दुबे पत्नि श्री विष्णु कुमार अग्रवाल निवासी मकान संख्या 110, राजीव विहार–[illegible], [illegible] मानसरोवर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्रति प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी– 2954 दिनांकः– 9.5.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हसनपुरा–ए गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नर्बदेश्वर नगर के भूखण्ड संख्या 39–ए क्षेत्रफल 958.39 वर्गगज का श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री सीताराम द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 454 / 596 से आंशिक रूप से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / हितधारी / खातेदार को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी का पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु [illegible] (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने हेतु भिजवा दिया गया है।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक [illegible] साइज मे प्रकाशित करवाई जावे। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं [illegible]।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण—प्रथम)/2022/डी— 842 दिनांकः— 29/4/22

प्रारूप—13
(नियम 13(2) देखिये)
लोक सूचना

अधोहस्ताक्षकर्ता की जानकारी में लाया गया है कि निम्नानुसार भूमि या उसके भाग का दिनांक 17.6.99 से पूर्व **संयुक्त गृह निर्माण स.समिति की योजना डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर ई ब्लॉक एवं मोती भवन गृह निर्माण स.समिति की योजना 14 कृषि विहार ए ब्लॉक** सृजन कर भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है/किया गया है इसलिये निम्न भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैः—

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील व जिला	गृ.नि.स.स. का नाम व योजना का नाम	खसरा न.		क्षेत्रफल (बीघा/बिस्वा)	नाम खातेदार
				गत	हाल		
1.	बदरवास	जयपुर	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर ई ब्लॉक मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 14 कृषि विहार ए ब्लॉक	80	80/1 80/2	**0.8473 17 बीघा 6 बिस्वा**	अमोलक रत्न कोहली पुत्र केदारनाथ कोहली हिस्सा—1/2 एवं श्री श्याम प्रताप सिंह राठौर पुत्र ठा. कौशलेन्द्रसिंह राठौर हिस्सा 1/2 जाति राठौड, मोहरी पत्नी गन्ना हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 397/2365, दिलीप सिंह पुत्र श्री महा सिंह हिस्सा 205/4730, जाहगीर सिंह पुत्र श्री महासिंह हिस्सा 112/2365

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख 7 दिन की ओर के भीतर–भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिये क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त वित्तगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन 2022 वर्ष के ...04.......(मास)...29...के दिन जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–18
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–18
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : 2383 दिनांक : 9/05/2022

संशोधित लोक सूचना

रियासत इन्फाटेक डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये हस्ताक्षरकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, जाति चौहान, निवासी– 603, औके प्लस टावर, नियर के.वी.–5, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की दिनांक 19.11.2021 को आवासीय में लोक सूचना जारी की गई थी बी.पी.सी. के निर्णय अनुसार भूमि का उपयोग व्यावसायिक होने से संशोधित 90ए के आदेश जारी किये जाने है अतः **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	सीतारामपुरा	171	0.04
		172	0.05
		195 / 594	0.07
		196 / 595	0.04
		647 / 197	0.75
		198	0.14
		199	0.08
		195	0.125
		196	0.06
		648 / 197	0.24
		किता 10	**कुल रकबा 1.5950 हैक्ट.**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।